उत्तर प्रदेश को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

2493. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने गत वर्ष किन-किन आवश्यक वस्तुओं की कितनी मांग की ;

(ख) उनमें से कितनी वस्तुएं प्रति मास आवंटित की गई और प्रत्येक वस्तु कितनी-कितनी मात्रा में आवंटित की गई ; और

(ग) वर्ष 1988 के दौरान और कौन-कौन सी वस्तुएं और कितनी-कितनी मात्रा में आवंटन किये जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) और (ख). सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना के तहत केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ताओं में वितरित करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सात आवश्यक वस्तुएं, अर्थात् गेहूं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिटटी का तेल, कंट्रोल का कपड़ा तथा साफ्ट कोक सप्लाई करती है । विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इन वस्तुओं के आवंटन का निर्णय, केन्द्रीय पूल में उपलब्ध इनके स्टाक, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आवश्यकताओं, विगत में उठाई गई तथा अन्य संबंधित बातों के आधार पर समय-समय पर किया जाता है, केवल प्राप्त हुई मांग के आधार पर नहीं । ये आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और इनसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सम्पूर्ण मांग को पूरा किये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है ।

2. पंचांग वर्ष 1987 के दौरान उत्तर प्रदेश को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन सूचित करने वाला एक विवरण संलग्न है [देखिए परिशिष्ट CXLV अनुपत्र सं० 94]

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की मौजूदा सूची में किसी और वस्तु को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र किसी भी अन्य वस्तु को जिसे वे आवश्यक समझते हों, प्रणाली के तहत शामिल करने के लिए स्वतन्त्र हैं। ऐसी वस्तुओं की वसूली तथा वितरण का प्रबंध उन्हें स्वयं करना होगा ।

बिहार में पम्पसेटों के लिए ऋण दिया जाना

2494. **श्री अशोक नाथ वर्मा :** क्या **कृषि** मंत्री 7 अगस्त, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1423, 1424, 1425 और 1426 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सभी जिलों में किन बैंकों और भूमि विकास बैंकों द्वारा किस-किस ब्राण्ड के डीजल एवं विद्युत् पम्पसेट, पाइप तथा स्ट्रेनरों का भुगतान किया गया और किस दर पर किया गया, क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई यदि हां, तो ससका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (लघु, सीमान्त कृषक एजेंसी) द्वारा विभिन्न ब्रांडों के पम्पसेटों, पाइपों, स्ट्रेनरों तथा अन्य सामानों के लिए जिलेवार क्या दर निर्धारित की गई थी ; और

(ग) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किस-किस बैंक के माध्यम से किस ब्रांड के लिए कितना भुगतान किया गया और भुगतान में अन्तर के क्या कारण थे ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). इस प्रश्न में पहले के उल्लिखित अतारांकित प्रश्न 9 दिसम्बर,

1983 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2072, की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं । इस प्रश्न में उल्लिखित शिकायत विशेषतौर पर दरभंगा जिले से संबंधित थी । अतः राज्य सरकार द्वारा उस जिले के संदर्भ में इस मामले की जांच की गई थी । इस जांच से पता चला है कि किर्लोस्कर, ऊषा, इण्डिया, भारत आदि के पम्पसेटों की विभिन्न दरें दर्शायी गई थीं जिनकी सप्लाई को व्यवस्था विभिन्न बैंकों द्वारा की गई थी । इसके अलावा, पम्पसेट 4500 रुपए में भी उपलब्ध कराए जा सकते थे परन्तु बैंकों द्वारा ऐसे पम्पसेटों के लिए 5,500 रुपए से लेकर 6,500 रुपए की राशि का भुगतान किया गया था ।

इसके बाद, राज्य सरकार और बैंकिंग प्रभाग को सभी संबंधितों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए लिखा गया था ।

बिहार राज्य सरकार ने सतर्कता विभाग द्वारा मामले की जांच कराई है । इससे यह प्रतीत होता है कि बिहार सरकार के लघु सिचाई विभाग ने 1982-83 में सिंक ट्यूबवैलों की एक योजना शुरू की थी जिसमें दरभंगा जिले को 2500 ट्यूबवैलों का लक्ष्य आवंटित किया गया था । राज्य सरकार के अधिकारियों ने मदों के लिए दरें निर्धारित की थीं । बैंकों की लाभार्थियों से परामर्श करने और उपयुक्त व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी । बैंकों को लाभार्थियों से सीधे ही आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ।

बैंकिंग प्रभाग ने सूचित किया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंक बिहार के दरभंगा जिले में कार्य कर रहे थे । उन्होंने यह भी सूचित किया है कि इन सभी बैंकों से रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया को छोड़कर किसी भी बैंक ने इस विभाग के 6 मार्च, 1985 के पत्र में उल्लिखित टाइप के अग्रिमों में किन्हीं अनियमितताओं की सूचना नहीं दी है । इसके अलावा, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दरभंगा जिले में बोरिंग उपकरणों की सप्लाई और पम्पसेटों की अग्रिम धनराशि में अनियमितताओं के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के छह अधिकारियों और कुछ बाहरी लोगों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किये हैं और ये मामले न्यायालयों के समक्ष सुनवाई के लिए लम्बित पड़े हैं ।

इसके अलावा, जुलाई, 1987 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया था कि बिहार के खगड़िया जिले में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की महेशखूंट शाखा में की गई मामलों की जांच से सिंचाई परियोजनाओं हेतु लघु किसानों के लिए आवधिक ऋण की योजना में अनियमितताओं का पता चला था । उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के दो अधिकारियों और कुछ प्राइवेट लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किये है ।

Agitation by the employees of the Federal Bank Ltd.

2495. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what are the reasons for the agitation by the employees of the Federal Bank Ltd.; and

(b) what steps are being taken by the Central Government towards conciliation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) The agitation by the employees of the Federal Bank Ltd. is mainly on the following demands:—

(i) Improvement in the Staff Housing Loan Scheme;

(ii) Posting of Head Clerks/Special Assistants in the bank;

(iii) Wages of sweepers;

(iv) Promotion policy;

(v) Posting of additional cashiers (in case of increased workload in any branches),

@Previously Unstarred Question 2051 transferred from the 15 March, 1988.